हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला – 176213

क्रमांकः हिशिबो(19)संचालन– I(CCTV)/2020- 13256-15300 दिनांकः– 27-02-2020

प्रेषकः–

सचिव,
हि०प्र०स्कूल शिक्षा बोर्ड,
धर्मशाला–176213.

प्रेषितः–

समस्त विद्यालय प्रमुख(केन्द्र समन्वयक),
बोर्ड वार्षिक परीक्षा केन्द्र,
हिमाचल प्रदेश।

विषयः– मार्च, 2020 की वार्षिक परीक्षा संचालन के बारे में विशेष निर्देश।

महोदय/महोदया,

जैसेकि आपको विदित ही है कि बोर्ड द्वारा मार्च, 2020 की मैट्रिक व जमा दो कक्षाओं के नियमित तथा राज्य मुक्त विद्यालय(SOS) के मिडल, मैट्रिक व जमा दो कोर्स के परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा को संचालन 4.3.2020 से 25.3.2020 तक किया जाना है व इस परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन के लिए आपको इस कार्यालय के पत्र No.HB(19)Conduct/CF-11/Co-ordinator/M-2020-2340-4370 दिनांक 20.1.2020 के अन्तर्गत आपको केन्द्र समन्वयक नियुक्त किया गया है।

परीक्षा संचालन के सन्दर्भ में उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों एवं परीक्षा केन्द्र को भेजी गई निर्देश पुस्तिका में निर्दिष्ट निर्देशों के साथ ही आपको निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगाः–

1. परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्थाः

i) बोर्ड द्वारा मार्च, 2020 की परीक्षा से 40 परीक्षार्थियों के मापदण्ड में कमी करते हुए केन्द्र अधीक्षक के साथ एक उपाधीक्षक व इससे अधिक संख्या पर एकल सहायक अधीक्षक के साथ ही प्रत्येक 25 परीक्षार्थी संख्या पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त करने का मापदण्ड निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

ii) परीक्षार्थियों को बैठाने के लिए हाल का ही उपयोग किया जाये, हाल की अनुपलब्धता पर ही कमरों का उपयोग किया जाये परन्तु कमरों में परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता 25 परीक्षार्थियों से कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में छोटे कमरों का उपयोग न किया जाये, अतिरिक्त पर्यवेक्षक की नियुक्ति के लिए बोर्ड की ओर से अब अदायगी का प्रावधान नहीं रखा गया है क्योंकि पर्यवेक्षक की नियुक्ति के पूर्व मापदण्ड को 40 परीक्षार्थियों से कम कर अब 25 परीक्षार्थी कर दिया गया है।

ii) परीक्षार्थियों को केवल उन्हीं हाल या कमरों में बैठाया जाये, जहां कैमरे लगे हो। किसी भी ऐसे हाल या कमरे में परीक्षार्थियों को न बैठाया जाये, जहां कैमरे न लगे हों व प्रत्येक परीक्षार्थी पूर्णतया कैमरों की निगरानी से बाहर न हो।

2. CCTV कैमराः

i) नकल जैसी कुरीति एवं अन्य अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्धेश्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय विद्यालय परीक्षा केन्द्रों में CCTV कैमरे स्थापित किये गये हैं, जबकि निजी शिक्षण संस्थानों में परीक्षा केन्द्र उन्हीं संस्थानों में बनाये गये हैं, जिनमें IP Address सहित कैमरें स्थापित हैं।

ii) कैमरों का बिना किसी रुकावट या व्यावधान के संचालन सुनिश्चित किया जाये। इस बारे में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान की स्थिति में पॉवर बैकअप(UPS) की व्यवस्था का प्रबन्ध भी कर लिया जाये।

iii) CCTV कैमरों की प्रत्येक दिवस व सत्र की रिकार्डिंग को DVR में सुरक्षित रखा जाये, रिकार्डिंग से कोई भी कांट–छांट/टैम्परिंग न की जाये। कैमरों के जीवन्त प्रसारण के साथ ही उड़न दस्ता या अन्य प्राधिकारी द्वारा रिकार्डिंग की जांच की जाएंगी व इसमें किसी कांट–छांट या बदलाव को कर्तव्य के प्रति कोताही के साथ ही प्रदत्त निर्देशों की उल्लंघना/अनियमितता माना जाएगा।

iv) CCTV कैमरों की बैक–अप को सुरक्षित रखा जाये, जिसे बोर्ड द्वारा परीक्षा के दौरान या बाद में किसी भी समय जांचा एवं मंगवाया जा सकता है।

v)परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण के लिए गठित एक सदस्य द्वारा केवल कैमरों का बैक-अप व जीवन्त संचालन का निरीक्षण किया जाएगा, जिसके सहायतार्थ अपने विद्यालय के आई०पी० अध्यापक या कम्प्यूटर/कैमरों के संचालन से भिज्ञ/सम्बद्ध अध्यापक की सेवायें उपलब्ध करवाई जाये।

3. नियुक्तियांः

i)केन्द्र समन्वयक(प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक) के अवकाश या प्रवास की अवधि के दौरान अस्थाई प्रबन्ध के लिए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केन्द्र होने की स्थिति में वरिष्ठतम् प्राध्यापक व उच्च विद्यालय केन्द्र की स्थिति में वरिष्ठतम् प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक को ही केन्द्र समन्वयक का उत्तरदायित्व दिया जाये।

ii)बोर्ड द्वारा नियुक्त केन्द्र अधीक्षक व उपाधीक्षक के उपस्थित न होने की स्थिति में केन्द्र समन्वयक द्वारा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केन्द्र होने की स्थिति में वरिष्ठ प्राध्यापक व उच्च विद्यालय केन्द्र की स्थिति में वरिष्ठतम प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक को ही नियुक्ति केन्द्र अधीक्षक तथा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाले प्राध्यापक/अध्यापक को ही उपाधीक्षक की आन्तरिक नियुक्ति में अधिमान दिया जाये।

4. पारिश्रमिक की अदायगी व फुटकर व्यय के लिए अग्रिम राशि :

i)बोर्ड की ओर से खाली उत्तरपुस्तिकायें पुस्तक वितरण केन्द्रों से तथा प्रश्न पत्र ड्रापिंग केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है व परीक्षा उपरान्त केन्द्रों की ओर से लिखित उत्तरपुस्तिकाओं को एकत्रीकरण केन्द्रों के जमा करवाया जाता है। परीक्षा केन्द्रों की पुस्तक वितरण केन्द्र तथा ड्रापिंग/एकत्रीकरण केन्द्र की दूरी के अनुसार गणनानुसार प्रत्येक परीक्षा केन्द्र को फुटकर राशि तथा नियुक्त स्टॉफ के लिए देय पारिश्रमिक के अनुसार विद्यालय प्रमुख के बैंक खाते में ऑन लाईन अग्रिम राशि प्रेषित की जा रही है।

ii)इस बार समस्त देय अदायगियों एवं बोर्ड डिपो तथा ड्रापिंग/एकत्रीकरण केन्द्र की दूरी के अनुसार सही गणना उपरान्त आंकलित राशि परीक्षा केन्द्रों को प्रेषित की जा रही है अतः अब केन्द्रों की ओर से अतिरिक्त राशि की मांग की संभावना को शून्य करने का प्रयास किया गया है। फिर भी यदि किसी केन्द्र में प्रेषित राशि कम होती है तो सम्बन्धित केन्द्र को अपनी मांग के साथ देय अदायगियों के पूर्ण विवरण सहित परीक्षा केन्द्र की पुस्तक वितरण केन्द्र तथा एकत्रीकरण केन्द्र की दूरी के बारे में भी सूचना प्रेषित करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्राप्त मांग का विशलेषण करना संभव नहीं होगा व केन्द्र को कोई भी अतिरिक्त राशि प्रेषित नहीं की जाएगी।

4. प्रैक्टिकल अंकः

i)इस बार बोर्ड कार्यालय को विद्यालयों की ओर से प्रैक्टिकल परीक्षा की कोई भी अंकसूची प्रेषित नहीं की जाये अपितु विद्यालयों की ओर से प्रैक्टिकल अंकों को ऑन-लाईन स्कूल यूजर लिंक के माध्यम से दिनांक 2.3.2020 तक सबमिट कर दिया जाये। ऑन लाईन अंक प्रेषण के उपरान्त उसका प्रिंट डाऊनलोड़ कर विद्यालय अभिलेख के लिए सुरक्षित रख लिया जाये।

4. खाली शेष उत्तरपुस्तिकायें व परीक्षार्थी हस्ताक्षर चार्टः

i)परीक्षा की समाप्ति पर अप्रयुक्त तथा शेष खाली बची हुई उत्तरपुस्तिकाओं के क्रमांक तथा प्रिंटिंग वर्ष की स्लिप लगाकर अपने ड्रांपिंग केन्द्र में अन्तिम परीक्षा दिवस की उत्तरपुस्तिकाओं के साथ ही अलग बण्डल में जमा करवा दें, स्मरण रहे शेष उत्तरपुस्तिकाओं को बोर्ड के पुस्तक वितरण केन्द्र द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा।

ii)परीक्षा समाप्ति के अन्तिम दिन लेखा से सम्बन्धित बिल दस्तावेजों के अतिरिक्त परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर चार्ट सहित अन्य प्रपत्र ड्रापिंग सैन्टर में अवश्य जमा करवा दिये जायें ताकि किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम लम्बित न रहे।

बोर्ड परीक्षाओं के सुव्यवस्थित संचालन में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

भवदीय,

(अक्षय सूद)
सचिव